16/2/26

उभय पक्ष उप.। बहस सुनी गई। प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। पत्रावली नंबर से कट हो। निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2025/446

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 184/2025 GOMS:-2025/446 **दायर दिनांक : 08.07.2025**

प्रेम कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार साकिन भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **—प्रार्थी**

बनाम

1. **देवसीराम पुत्र रावताराम जाति नायक साकिन हरखेवाला हाल निवासी 2 एल.एम., सुरजनसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
2. **शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़**
3. **शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान नाम भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ए.डी.बी. सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़**
4. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपस्थित :
1. श्री रामनारायण जालप, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 19.02.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के अभिभाषकगण एवं अप्रार्थी सं. 4 उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता सं. 223/167 के पत्थर नं. 3/59 (162) के किला नं. 11—12/0.506 है0, 18 से 20/0.759 है0 = 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से एवं इसी चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 197/156 के पत्थर नं. 3/27 (158) के किला नं. 5 से 7, [illegible] 16, 23 से 25 = 2.277 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 3/59 (162) के किला नं. [illegible]1 में 0.228 है0क0, 1/2 में 0.025 है0 खाला, 2/1 में 0.228 है0क0, 2/2 में 0.025 है0 खाला, 3/1 में 0.228 है0क0, 3/2 में 0.025है0 खाला, 4/[illegible] में 0.228 है0क0, 4/2 में 0.025

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:25 IST
Reason: SelfAttested

है0 खाला, 5/1 में 0.228 है0क0, 5/2 में 0.025 है0 खाला, 6/1 में 0.228 है0क0, 6/2 में 0.025 है0 खाला, 7 से 10/1.012 है0क0, 13–14/0.506 है0क0, 15/1 में 0.228 है0क0, 15/2 में 0.025 है0 खाला, 16/1 में 0.228 है0अ0क0, 16/2 में 0.025 है0 खाला, 17/0.253 है0क0, 24/0.253 है0अ0क0, 25/1 में 0.228 है0अ0क0, 25/2 में 0.025 है0 खाला = 4.301 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला, कुल 6.578 है0 (5.644 है0 कमाण्ड, 0.709 है0 अनकमाण्ड व 0.225 है0 खाला) गैर खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी को अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता सं. 223/167 के पत्थर नं. 3/59 (162) के किला नं. 11–12/0.506 है0, 18 से 20/0.759 है0 = 1.265 है0 अनकमाण्ड भूमि में आने–जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है, जिसके कारण वो अपनी कृषि भूमि में अधिकारिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने–जाने व कृषि जोत को साधन लाने–ले जाने के लिए पड़ौसी काश्तकार अप्रार्थी सं. 1 की भूमि में प्रवेश करता रहा है, लेकिन अब अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम अंकित भूमि में प्रवेश नहीं करने दे रहा, इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित कृषि भूमि में से चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 3/59 (162) के किला नं. 1/1 में 0.025 है0 चौड़ाई में पश्चिमी पासा व किला नं. 10 में 0.025 है0 चौड़ाई में पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया। रास्ता में आयी भूमि के बदले प्रार्थी ने अपने नाम अंकित भूमि में से भूमि देने या डी.एल.सी. दर से राशि अदा करने की स्वीकृति दी।

प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर तहसील से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से आने–जाने के लिए चाहे गये रास्ता के लिए प्रत्येक किला में [illegible]ला यानि 0.013 है0 का रास्ता स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति इस आधार पर दी कि यदि रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थी अपने अंकित चक 2 एल.एम. के पत्थर नं. 3/59 के किला नं. 18 में अप्रार्थी के किला नं. 13 के चिपते भूमि देने को तैयार हो तो अप्रार्थी को रास्ता स्वीकृति में कोई एतराज नहीं है। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 उपस्थित नहीं

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:25 IST
Reason: Self Attested

आये, इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जांच रिपोर्ट विधिवत जांच कर संलग्न की जा चुकी है। जवाब आने के पश्चात् तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 एल.एम. के पत्थर नं. 3/59 (162) के किला नं. 11-12/0.506 है0, 18 से 20/0.759 है0 = 1.265 है0 अनकमाण्ड भूमि में आने-जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता बताते हुए व भूमि के बदले भूमि देने की स्वीकृति देते हुए तर्कों में 1-1 बिस्वा का रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी। उनके द्वारा बताया गया कि किला नं. 18 में ढ़ाणी व कुआं है, इसलिए रास्ता की भूमि के बदले किला नं. 12 में भूमि अप्रार्थी को देने की प्रार्थना की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

विद्वान अभिभाषक अंप्रार्थी सं. 1 ने अपने तर्कों में रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता स्वीकार की, किन्तु रास्ता 1-1 बिस्वा स्वीकार करने व उक्त रास्ता की भूमि के बदले किला नं. 18 में 2 बिस्वा भूमि पूर्व से पश्चिम किला नं. 13 के चिपती देने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के बाद पत्रावली के अवलोकन में प्रार्थी के इस कथन से सहमत हूं कि उसको अपने नाम अंकित खातेदारी भूमि की पहुंच हेतु रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता है। पक्षकार इसे स्वीकार भी करते हैं। यह रास्ता व्यक्तिगत आवश्यकता हेतु है, इसलिए चक 2 एल.एम. के पत्थर नं. 3/59 (162) के किला नं. 1 व 10, प्रत्येक किला में 1-1 बिस्वा अर्थात 0.013 है0 प्रत्येक किले में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। पक्षकार बदले में भूमि लेने पर सहमत है, इसलिए अप्रार्थी सं. 1 की स्वीकृति अनुसार उसे प्रार्थी के नाम अंकित पत्थर नं. 3/59 (162) के किला नं. 18 में 2 बिस्वा भूमि पूर्व से पश्चिम किला नं. 13 के चिपती दिया जाना उचित समझता हूं। इसमें अंकित काश्तकार ढ़ाणी व कुआं की भूमि छोड़ते हुए भूमि दी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अप्रार्थी [illegible] की स्वीकृति अनुसार प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 [illegible] अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. [illegible] जाति नायक साकिन हरखेवाला गैर खातेदार के नाम अंकित वा[illegible] चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता सं. 197/156 के पत्थर नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:25 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

3/27 (158) के किला नं. 5 से 7, 14 से 16, 23 से 25 = 2.277 है0 व पत्थर नं. 3/59 (162) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0, 1/2 में 0.025 है0, 2/1 में 0.228 है0, 2/2 में 0.025 है0, 3/1 में 0.228 है0, 3/2 में 0.025 है0, 4/1 में 0.228 है0, 4/2 में 0.025 है0, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.025 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 7 से 10/1.012 है0, 13–14/0.506 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0, 16/1 में 0.228 है0, 16/2 में 0.025 है0, 17/0.253 है0, 24/0.253 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 = 4.301 है0, कुल 6.578 है0 (5.644 है0 कमाण्ड, 0.709 है0 अनकमाण्ड व 0.225 है0 खाला) गैर खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 3/59 (162) के किला नं. 1/1 की 0.228 है0 कमाण्ड भूमि में से 0.013 है0 बजानिब पश्चिम दिशा व किला नं. 10 की 0.253 है0 कमाण्ड भूमि में से 0.013 है0 बजानिब पश्चिम दिशा, इस प्रकार कुल 0.026 है0 उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत किया जाता है व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से कलमजन कर प्रार्थी प्रेम कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार साकिन भोपालपुरा के नाम गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थी प्रेम कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार साकिन भोपालपुरा खातेदार के नाम अंकित वाके चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता सं. 223/167 के पत्थर नं. 3/59 (162) के किला नं. 11–12/0.506 है0, 18 से 20/0.759 है0 = 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 3/59 (162) के किला नं. 18 की 0.253 है0 अनकमाण्ड भूमि में से 0.026 है0 अनकमाण्ड भूमि बजानिब उत्तर दिशा, पूर्व से पश्चिम, किला नं. 13 के चिपते (किला नं. 18 में प्रार्थी की निर्मित ढ़ाणी व कुआं की भूमि को छोड़ते हुए) प्रार्थी के नाम से कलमजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 1 देवसीराम पुत्र रावताराम जाति नायक साकिन भोपालपुरा के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेशों की पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक ...16.02.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)